

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी नीमकाथाना (राज.)

माफी मस्जिद बनाम मोहम्मद उमर कोरट

किस्म मुकदमा 91 धर्ना 153 बाबत अस्थायी नम्बर 91/2024 सन  
निवेदाता

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
26-11-24	<p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये वकील पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 23.12.24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)</p> <p>23/12 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरे के अग्रिम कार्यवाही दिनांक 23.12.24 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम होजरी अदम फरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी</p> <p>8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित वकील वादी/प्रार्थी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते हैं तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलस्वरूप प्रकरण को इसी स्तर पर खरिज/नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी</p>	<p>note book 24/12/2024 B.S. H.S.</p>